प्रारंभिक परीक्षा

भारत-अल्जीरिया रक्षा सहयोग

संदर्भ

भारत और अल्जीरिया ने रक्षा सहयोग पर अपना पहला संयुक्त आयोग गठित किया, जो सहयोग को संस्थागत रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

लिए गए प्रमुख निर्णय

- **संस्थागत तंत्र की स्थापना:** दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग को संचालित करने के लिए प्रक्रिया के नियमों पर हस्ताक्षर किए (भविष्य की गतिविधियों के लिए संरचित ढांचा प्रदान करता है)।
    - **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: रक्षा समझौता ज्ञापन (2024) ने** संरचित रक्षा संबंधों की शुरुआत को चिह्नित किया (जो वर्तमान संयुक्त आयोग तंत्र की ओर अग्रसर है)।
- **रक्षा सहयोग क्षेत्रों का विस्तार:** निम्नलिखित पर ध्यान देना:
    - प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (सैन्य कौशल वृद्धि)
    - संयुक्त सैन्य अभ्यास (इंटरऑपरेबिलिटी)
    - चिकित्सा सहयोग (सैन्य स्वास्थ्य देखभाल सहयोग)
    - रक्षा उद्योग की भागीदारी (सह-विकास और विनिर्माण)
- **बहु-एजेंसी जुड़ाव:** भारतीय पक्ष **में सेना, नौसेना, वायु सेना, डीआरडीओ और रक्षा उत्पादन** शामिल थे (व्यापक रक्षा सहयोग दृष्टिकोण को इंगित करता है)।

भारत-अल्जीरिया द्विपक्षीय सहयोग

- **राजनीतिक और राजनयिक संबंध:** 1962 में स्थापित; उपनिवेशवाद विरोधी एकजुटता और गुटनिरपेक्ष आंदोलन सहयोग में निहित मजबूत संबंध।
- **आर्थिक और व्यापार सहयोग:** द्विपक्षीय व्यापार 1.7 बिलियन अमरीकी डालर (2024-25); भारत चावल, फार्मा, इंजीनियरिंग सामान का निर्यात करता है; कच्चे तेल, एलएनजी, उर्वरकों का आयात करता है।
- **ऊर्जा साझेदारी:** अल्जीरिया हाइड्रोकार्बन (तेल, एलएनजी) का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, जो भारत के ऊर्जा विविधीकरण का समर्थन करता है।
- **रक्षा और सामरिक सहयोग:** समझौता ज्ञापन (2024), संयुक्त आयोग, प्रशिक्षण और सैन्य आदान-प्रदान के साथ बढ़ते रक्षा संबंध।
- **अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी सहयोग:** इसरो और अल्जीरियाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौता (2018); भारत ने अल्जीरियाई उपग्रहों का प्रक्षेपण किया।
- **सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संबंध:** योग कूटनीति, छात्रवृत्ति और भारतीय प्रवासी (4,000 लोग) नरम संबंधों को मजबूत करते हैं।
- **औद्योगिक और व्यावसायिक जुड़ाव:** निर्माण, फार्मा, रेलवे और ऊर्जा क्षेत्रों (जैसे एलएंडटी, इरकॉन, महिंद्रा) में सक्रिय भारतीय कंपनियां।

भारत-वियतनाम ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाया

संदर्भ

वियतनामी राष्ट्रपति तो लाम की भारत यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने रक्षा, समुद्री, प्रौद्योगिकी और व्यापार से संबंधित कई नई पहलों की घोषणा की।

यात्रा के दौरान लिए गए प्रमुख निर्णय

सामरिक और राजनीतिक

- संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया।
- प्रस्तावित भारत-वियतनाम 2+2 वार्ता (कूटनीति + रक्षा)।
- भारत और वियतनाम साइबर सुरक्षा पर ADMM-Plus विशेषज्ञ कार्य समूह (2027-2030) की सह-अध्यक्षता करेंगे।

समुद्री और हिंद-प्रशांत सहयोग

- वियतनाम इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव (IPOI) (2019 में शुरू की गई भारत के नेतृत्व वाली पहल) में शामिल हो गया।
- वियतनाम को IFC-IOR (सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र), गुरुग्राम में संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के लिए आमंत्रित किया गया है। गुरुग्राम में भारत स्थित समुद्री सूचना-साझाकरण केंद्र)

आर्थिक एवं व्यापार

- 2030 तक 25 बिलियन अमरीकी डालर का नया द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य।
- भारतीय अंगूर और वियतनामी ड्यूरियन के लिए बाजार पहुंच प्रदान की गई।
- नवीकरणीय ऊर्जा, ईवी, लॉजिस्टिक्स, स्मार्ट कृषि और स्टार्टअप में सहयोग पर जोर दिया गया।

रक्षा और सुरक्षा

- संयुक्त अभ्यास, रक्षा सह-उत्पादन, समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा में सहयोग का विस्तार।
- 2025 के सर्वेक्षण के उद्घाटन के बाद नियमित रूप से संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किए जाएंगे।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा

- डिजिटल भुगतान और वित्तीय नवाचार पर भारतीय रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
- वियतनाम ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस (GBA) (G20 2023 के दौरान लॉन्च किए गए भारत के नेतृत्व वाले गठबंधन) में शामिल होने में रुचि व्यक्त की।
- आईआरईएल इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। और दुर्लभ पृथ्वी में सहयोग पर VINATOM।

शिक्षा और विकास साझेदारी:

- नालंदा विश्वविद्यालय और हो ची मिन्ह नेशनल एकेडमी ऑफ पॉलिटिक्स के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन।

संस्कृति, पर्यटन और कनेक्टिविटी

- आईसीसीआर इंडिया स्टडीज चेयर इन वियतनाम (भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद-समर्थित शैक्षणिक पदों को बढ़ावा देने वाली)।
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम 2026-2030 (सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के आदान-प्रदान के लिए रूपरेखा)।

प्रोजेक्ट फ्रीडम

संदर्भ

संयुक्त राज्य अमेरिका ने अस्थायी रूप से प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है।

प्रोजेक्ट फ्रीडम के बारे में

- **उद्देश्य:** होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे वाणिज्यिक जहाजों को एस्कॉर्ट और गाइड करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली नौसैनिक पहल (नेविगेशन की स्वतंत्रता और तेल प्रवाह सुनिश्चित करना)।
- **परिचालन पृष्ठभूमि**
    - ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी से शुरू हुआ (~20% वैश्विक तेल पारगमन मार्ग)
    - ऑपरेशन एपिक फ्यूरी (ईरान पर यूएस-इज़राइल हमले) सहित व्यापक संघर्ष से जुड़ा हुआ है
- **प्रमुख विशेषताएँ**
    - **समुद्री एस्कॉर्ट तंत्र:** अमेरिकी नौसैनिक बलों ने उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों (हमलों और खानों से खतरे को कम करने) के माध्यम से जहाजों को एस्कॉर्ट किया।
    - **सुरक्षित परिवहन गलियारे:** निर्दिष्ट मार्गों की निगरानी की जाती है और उन्हें सुरक्षित घोषित किया जाता है (जिससे भीड़भाड़ वाले स्थानों से सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होता है)।
    - **आर्थिक प्रतिबंध से अलग:** प्रोजेक्ट फ्रीडम नेविगेशन पर केंद्रित था, जबकि अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान को आर्थिक रूप से लक्षित किया।
    - **नौसेना नाकाबंदी से अलग:** प्रोजेक्ट फ्रीडम मुक्त नेविगेशन को बढ़ावा देता है, जबकि नाकाबंदी पहुंच से इनकार (आक्रामक आर्थिक युद्ध) को लागू करती है।

बिना आवश्यक कोरम के निकोबार परियोजना को मंजूरी दी गई

संदर्भ

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन 92,000 करोड़ रुपये की ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) परियोजना के लिए सहमति प्राप्त करने हेतु आयोजित ग्राम सभा बैठकों में अनिवार्य 50% कोरम को पूरा करने में विफल रहा।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कोरम और सहमति

- **वन अधिकार अधिनियम (2006) में वन भूमि के डायवर्जन के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है।**
- **अनिवार्य आवश्यकता:** ग्राम सभा को केवल तभी वैध माना जाता है जब गांव की कुल वयस्क आबादी का कम से कम 50% (आधा) मौजूद हो।
- **लैंगिक प्रतिनिधित्व:** इसके अलावा, उपस्थित लोगों में से एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए।
- **"नियमगिरि" मिसाल:** ऐतिहासिक वेदांता बनाम भारत संघ मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि ग्राम सभा के पास जनजातियों के सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों की रक्षा करने का अंतिम अधिकार है, एक ऐसी मिसाल जिसका हवाला अब GNI परियोजना के याचिकाकर्ताओं द्वारा दिया जा रहा है।

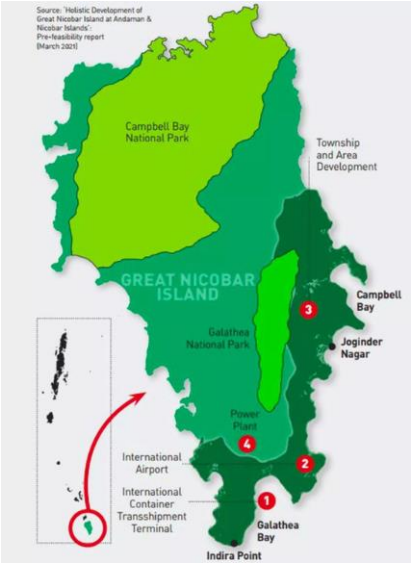

ग्रेट निकोबार अवसंरचना परियोजना के बारे में

- **अवलोकन:** 2021 में शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य 72,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ नीति आयोग और ANIIDCO के नेतृत्व में ग्रेट निकोबार को वैश्विक ट्रांस-शिपमेंट हब के रूप में विकसित करना है।
- **प्रमुख घटक:** गैलाथिया खाड़ी (16 मिलियन टीईयू) में ट्रांस-शिपमेंट बंदरगाह, दोहरे उपयोग वाले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, 450 एमवीए बिजली संयंत्र (गैस + सौर), और 166 वर्ग किमी से अधिक 3 लाख लोगों के लिए टाउनशिप।
- **महत्व**
    - **सामरिक और रक्षा**
        - मलक्का जलडमरूमध्य के पास स्थित है, जो एक प्रमुख वैश्विक व्यापार चोकपॉइंट है, और सुंडा और लोम्बोक जलडमरूमध्य के करीब है।
        - प्रमुख समुद्री मार्गों की निगरानी के लिए एक नौसैनिक बंदरगाह और हवाई क्षेत्र के साथ मजबूत तीनों सेनाओं की उपस्थिति को सक्षम बनाता है।
    - **आर्थिक और कनेक्टिविटी**
        - इसका उद्देश्य सिंगापुर और कोलंबो जैसे विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता को कम करना है (वर्तमान में 75% कार्गो विदेशों में ट्रांस-शिप किया जाता है)।
        - एफडीआई को बढ़ावा देने, विदेशी मुद्रा बचाने और रसद दक्षता में सुधार करने की उम्मीद है।
        - व्यापार, पर्यटन और रणनीतिक संचालन के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाता है।
- **चिंताएं**
    - **जैव विविधता का नुकसान:** लगभग 130 वर्ग किमी वन भूमि का डायवर्जन और लगभग 8.5 लाख पेड़ों की कटाई।
        - **गैलाथिया खाड़ी:** विशालकाय लेदरबैक कछुआ (दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री कछुआ) और निकोबार मेगापोड के लिए प्राथमिक घोंसला बनाने का स्थल।
    - **जनजातीय अधिकार:** बाहरी लोगों की आमद से शोम्पेन और ग्रेट निकोबारीज़ के लिए सांस्कृतिक क्षरण और स्वास्थ्य जोखिम पैदा होंगे।
    - **भूकंपीय जोखिम:** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भूकंपीय क्षेत्र V (उच्च जोखिम) में हैं।

अनुच्छेद 243: ग्राम सभा को एक निकाय के रूप में परिभाषित करता है जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर एक गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल हैं।

कोयला विद्युत संयंत्रों से SO_2 उत्सर्जन

संदर्भ

आईआईटी दिल्ली द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों (सीएफपीपी) से सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लाभों पर प्रकाश डाला गया है।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

- **PM2.5 में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में SO_2:** अध्ययन से पता चलता है कि SO_2 न केवल एक प्रदूषक के रूप में मौजूद है, बल्कि द्वितीयक कणिकीय पदार्थ(PM2.5) (सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम के माध्यम से) भी बनाता है, जो वायु प्रदूषण को खराब करता है।
- **महत्वपूर्ण कमी की संभावना:** पूर्ण रोकथाम से निम्नलिखित में कमी आ सकती है:
    - PM2.5 के संपर्क में 0.3–12 $\mu g/m^3$ की कमी
    - राज्य भर में SO_2 के स्तर में 0.1–13.6 ppb की कमी
- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** सालाना लगभग 1.24 लाख मौतों (हृदय और श्वसन रोगों) से बचा जा सकता है।
- **प्रभाव में क्षेत्रीय भिन्नता**
    - उच्च मृत्यु प्रभाव: महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक
    - उच्च प्रदूषण में कमी: छत्तीसगढ़, ओडिशा (कोयला हॉटस्पॉट)
- **पर्यावरणीय असमानता आयाम:** एससी, एसटी, ओबीसी और कम आय वाले समूहों के लिए लाभ अधिक हैं, जो वायु प्रदूषण को एक इक्विटी मुद्दे के रूप में उजागर करते हैं।
- **भारत में बढ़ता SO_2 उत्सर्जन:** वैश्विक रुझानों के विपरीत, भारत का SO_2 उत्सर्जन काफी बढ़ गया (2005-2021 में 2.36 से 5.05 हजार किलोटन तक)।

सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2)

1. मुख्य तथ्य और गुण

- यह एक रंगहीन, जल में घुलनशील गैस है जिसकी गंध तीखी और दम घोंटने वाली होती है।
- इसका वाष्प घनत्व उच्च (~2.26) होता है, इसलिए यह निचले इलाकों में जमा हो जाती है।
- यह जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल (H_2SO_4) बनाती है, जिससे अम्लीय वर्षा होती है।
- **द्वितीयक प्रदूषक:** यह गैस से कण में परिवर्तित होकर सल्फेट एरोसोल बनाती है, जो $PM_{2.5}$ और शहरी धुंध का एक प्रमुख घटक है।
- **जैव-संकेतक:** लाइकेन SO_2 के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं; इनकी अनुपस्थिति उच्च प्रदूषण का संकेत देती है।
- **जलवायु पर प्रभाव**: सल्फेट एरोसोल सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, जिससे अस्थायी शीतलन ("ग्लोबल डिमिंग") होता है, जो आंशिक रूप से वैश्विक तापमान वृद्धि को छुपाता है।

2. SO_2 के स्रोत

- **मानवजनित:** सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधन (कोयला, तेल) का जलना, विशेष रूप से थर्मल पावर प्लांट (टीपीपी) में।
    - गलाना (तांबा, जस्ता, सीसा), पेट्रोलियम शोधन, उर्वरक उत्पादन।
- **प्राकृतिक:** ज्वालामुखी विस्फोट।

3. भारत में नियामक ढांचा

A. राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS)

- SO_2 AQI के तहत एक प्रमुख प्रदूषक है।

- **सीमाएँ**: आवासीय/औद्योगिक - 50 μg/m³ (वार्षिक), 80 μg/m³ (24-hr); पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील - 20 माइक्रोग्राम/वर्ग मीटर (वार्षिक), 80 माइक्रोग्राम/वर्ग मीटर (24-घंटा)।

B. ग्रिप गैस डिसल्फराइजेशन (FGD)

- बिजली संयंत्र उत्सर्जन से SO_2 को हटाने के लिए प्राथमिक तकनीक।
- **प्रक्रिया**: SO_2 को जिप्सम ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$) में बदलने के लिए चूना पत्थर/चूने का उपयोग करता है।
- **टाइमलाइन**: चरणबद्ध कार्यान्वयन (श्रेणियाँ ए, बी, सी) जिसकी समय सीमा दिसंबर 2026 तक है।

रस्टी स्पॉटेड कैट

संदर्भ

दिल्ली अरावली में रस्टी स्पॉटेड कैट की फोटो खिंची गई।

रस्टी स्पॉटेड कैट के बारे में

- **वितरण:** भारत, नेपाल और श्रीलंका के लिए स्थानिक।
    - मध्य और दक्षिणी भारत में शुष्क पर्णपाती वनों, झाड़ीदार भूमि और चट्टानी क्षेत्रों को पसंद करते हैं।

- **विशेषताएं**:
    - दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली होने का खिताब रखती है।
    - एक वयस्क का वजन लगभग 1-1.6 किलोग्राम होता है (जो आटे के एक मानक बोरे से भी कम है)।
    - बेहद फुर्तीली और तेज; ये मुख्य रूप से निशाचर होती हैं और बड़े शिकारियों से सुरक्षित रहने के लिए वृक्षों पर रहती हैं।
    - इनकी पीठ और पार्श्वों पर हल्के लाल (जंग लगे) धब्बों के साथ छोटे, भूरे-धूसर रंग के बाल होते हैं।
- **संरक्षण की स्थिति**
    - **IUCN:** खतरे के पास
    - **WPA:** अनुसूची I

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा मंदिर के कुएं में मिली मूर्तियों की जांच की जाएगी

संदर्भ

आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में स्थित श्री भवननारायण स्वामी मंदिर के एक कुएं से बरामद सात धातु की मूर्तियों की जांच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा की जाएगी।

मूर्तियों के बारे में

- **पहचाने गए देवता:** वेणुगोपाल स्वामी, रुक्मिणी, सत्यभामा, वेंकटेश्वर स्वामी, श्रीदेवी, भूदेवी और गोदादेवी
- **सामग्री**: पंचधातु की मूर्तियाँ पाँच धातुओं (आमतौर पर सोना, चाँदी, तांबा, जस्ता और लोहा) के मिश्रण से बनी होती हैं, जिनका उपयोग दक्षिण भारतीय मंदिर परंपराओं में व्यापक रूप से किया जाता है।

- **अनुष्ठानिक उपयोग:** ये उत्सव प्रतिमाओं से मिलती-जुलती हैं, जिनका उपयोग त्योहारों और जुलूसों के दौरान किया जाता है (सार्वजनिक पूजा के लिए गर्भगृह से बाहर ले जाया जाता है)।

धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व

- **भक्ति परंपरा लिंक:** अंडाल (गोदादेवी) की उपस्थिति वैष्णव भक्ति परंपरा को दर्शाती है।
- **मूर्तिकला का महत्व:** कृष्ण और विष्णु रूपों का संयोजन वैष्णव मंदिर पूजा पैटर्न को इंगित करता है।

प्राचीन मूर्ति बनाने में उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्री

सामग्री का प्रकार	मिश्रण	महत्व
अष्टधातु	सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, लोहा, पारा	टिकाऊ और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण मूर्तियों के लिए उपयोग किया जाता है
काँसा	कॉपर + टिन	चोल काल की मूर्तियों में आम (उच्च कलात्मक गुणवत्ता)
पत्थर (ग्रेनाइट/बलुआ पत्थर)	प्राकृतिक चट्टान	स्थायी मंदिर की मूर्तियों के लिए उपयोग किया जाता है (मूलविग्रह)
लकड़ी	नक्काशीदार लकड़ी	विशिष्ट परंपराओं में उपयोग किया जाता है (जैसे जगन्नाथ की मूर्तियाँ)

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECS) की नियुक्ति और चुनावी स्वतंत्रता

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में यह टिप्पणी की कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति प्रक्रिया में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की भागीदारी केवल एक अस्थायी व्यवस्था थी, जब तक कि संसद इस विषय पर कोई कानून अधिनियमित न कर दे।

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति

- **पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया:** 2023 से पहले, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती थी।
- **सर्वोच्च न्यायालय का 2023 का निर्णय:** अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि नियुक्तियां एक समिति द्वारा की जानी चाहिए जिसमें निम्नलिखित शामिल हों:
    - प्रधानमंत्री
    - लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता)
    - भारत के मुख्य न्यायाधीश
- **2023 का कानून:** संसद ने बाद में 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023' अधिनियमित किया।
    - इस कानून ने चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल कर दिया।

वर्तमान चयन समिति

वर्तमान समिति में शामिल हैं:

- प्रधानमंत्री
- विपक्ष के नेता

- प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

- **पहले की व्यवस्था की अस्थायी प्रकृति**: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चयन समिति में सीजेआई को शामिल करने का इरादा कभी भी स्थायी नहीं था।
- **संसद का विधायी अधिकार:** न्यायालय ने कहा कि **अनुच्छेद 324(2) संसद को चुनाव आयोग में नियुक्तियों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है।**
- **न्यायिक निर्देशों की सीमाएं:** पीठ ने सवाल किया कि क्या अदालतें संसद को केवल एक विशिष्ट तरीके से कानून बनाने का निर्देश दे सकती हैं।

भारत में अपराध 2024: NCRB रिपोर्ट

संदर्भ

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट भारत में अपराध 2024 के अनुसार, देश में 2024 के दौरान समग्र संज्ञेय अपराधों में गिरावट दर्ज की गई।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- **कुल पंजीकृत अपराधों में गिरावट:** भारत ने 2023 में 62.41 लाख मामलों की तुलना में 2024 में 58.86 लाख संज्ञेय अपराध दर्ज किए, जो लगभग 6% की गिरावट को दर्शाता है। प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर 2023 में 448.3 से गिरकर 2024 में 418.9 हो गई।
    - भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत 35.44 लाख मामले दर्ज किए गए।
    - विशेष और स्थानीय कानूनों (एसएलएल) के तहत 23.41 लाख मामले दर्ज किए गए
- **साइबर अपराध में तेजी से वृद्धि**: मामलों में 17.9% की वृद्धि हुई, जो 2023 में 86,420 से बढ़कर 2024 में 1,01,928 हो गई। साइबर अपराध की दर 6.2 से बढ़कर 7.3 प्रति लाख जनसंख्या हो गई।
    - **राज्यवार रुझान:** तेलंगाना में 27,230 घटनाओं के साथ साइबर अपराध के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। इसके बाद कर्नाटक में 21,003 मामले सामने आए।
- **आर्थिक अपराधों में वृद्धि**: 2024 में आर्थिक अपराधों में 4.6% की वृद्धि हुई।
    - मामले 2023 में 2,04,973 से बढ़कर 2024 में 2,14,379 हो गए।
    - जालसाजी, धोखाधड़ी और धोखाधड़ी इन अपराधों का लगभग 90% हिस्सा था।
- **महिलाओं के खिलाफ अपराध**: महिलाओं के खिलाफ अपराध 2023 में 4.48 लाख मामलों से घटकर 2024 में 4.41 लाख मामले हो गए। प्रमुख अपराधों में शामिल हैं:
    - पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता
    - अपहरण
    - नाबालिगों के खिलाफ अपराध
    - मानहानि के इरादे से हमला
- **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराध:** अनुसूचित जातियों (एससी) के खिलाफ अपराधों में 3.6% की गिरावट आई और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के खिलाफ अपराधों में 23.1% की गिरावट आई।

- **बाल सुरक्षा और किशोर मुद्दे**: 2024 में लापता बच्चों के मामलों में 7.8% की वृद्धि हुई। लापता बच्चों में ज्यादातर लड़कियां थीं।
    - महानगरों में दिल्ली में कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक है।
- **आत्महत्या और सामाजिक संकट**: ADSI रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2024 में 1,70,746 आत्महत्याएँ दर्ज की गईं।
- **ड्रग ओवरडोज से होने वाली मौतों में वृद्धि**: ड्रग ओवरडोज से होने वाली मौतें 2023 में 650 मामलों से तेजी से बढ़कर 2024 में 978 मामले हो गईं।
    - तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम में सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई
- **राज्य के खिलाफ अपराध:** 2024 में राज्य के खिलाफ अपराध के रूप में वर्गीकृत मामलों में 6.6% की वृद्धि हुई। अधिकांश मामले निम्नलिखित के तहत दर्ज किए गए थे:
    - सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम
    - गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA)

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)

- **स्थापना**: NCRB की स्थापना 1986 में निम्नलिखित की सिफारिशों के आधार पर की गई थी:
    - टंडन समिति
    - राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981)
    - 1985 में गठित गृह मंत्रालय (MHA) का टास्क फोर्स
- **प्रशासनिक मंत्रालय:** NCRB गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।
- **प्रमुख कार्य:**
    - NCRB भारत में अपराध और आपराधिक संबंधी जानकारी के लिए केंद्रीय डेटाबेस के रूप में कार्य करता है, जो अपराध जांच और पता लगाने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद करता है।
    - यह क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) का प्रबंधन और समन्वय करता है, जिसका उद्देश्य देश भर में पुलिस एजेंसियों के बीच डिजिटल एकीकरण और सूचना साझाकरण में सुधार करना है।
    - ब्यूरो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट और सांख्यिकीय संकलन प्रकाशित करता है, जिनमें शामिल हैं:
        - भारत में अपराध
        - भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं (ADSI)
        - जेल सांख्यिकी भारत

विकेंद्रीकृत स्कूल शासन के लिए स्कूल प्रबंधन समितियां

संदर्भ

शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा प्रणाली को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए सभी स्कूलों के लिए स्कूल प्रबंधन समितियां (SMC) बनाना अनिवार्य करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

स्कूल प्रबंधन समितियों (SMC) के बारे में

- **अर्थ**: स्कूल प्रबंधन समितियां ऐसे स्थानीय निकाय हैं जिनका गठन स्कूलों के कामकाज और विकास की देखरेख के लिए किया जाता है क्योंकि उन्हें स्कूल प्रशासन में माता-पिता, शिक्षकों, स्थानीय समुदायों और जन प्रतिनिधियों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **कवरेज**: नए दिशा-निर्देशों के तहत, कक्षा 12 तक के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों सहित प्रत्येक स्कूल को शैक्षणिक सत्र के एक महीने के भीतर एक SMC का गठन करना होगा।
- **पहले के निकायों का प्रतिस्थापन:** नए एसएमसी पहले की स्कूल प्रबंधन विकास समितियों (एसएमडीसी) की जगह लेंगे। इसका उद्देश्य देश भर में स्कूल प्रशासन की एक समान और सुव्यवस्थित प्रणाली बनाना है।

नए दिशानिर्देशों के उद्देश्य

- **स्कूल शासन का विकेंद्रीकरण**: नीति निर्णय लेने की प्रक्रिया को स्थानीय समुदाय के करीब ले जाने का प्रयास करती है। स्कूलों से अपेक्षा की जाती है कि वे पूरी तरह से केंद्रीकृत प्रशासन पर निर्भर रहने के बजाय अधिक स्थानीय भागीदारी के साथ कार्य करें।
- **सामुदायिक भागीदारी**: दिशानिर्देश शिक्षा को माता-पिता, शिक्षकों, स्थानीय निकायों और समाज को शामिल करने वाली एक साझा जिम्मेदारी के रूप में मान्यता देते हैं।
- **बेहतर जवाबदेही**: स्कूल के कामकाज में स्थानीय हितधारकों को सीधे शामिल करके, सरकार का लक्ष्य पारदर्शिता, निगरानी और जवाबदेही में सुधार करना है।
- **एनईपी 2020 के साथ संरेखण:** ये सुधार एनईपी 2020 के भागीदारीपूर्ण, समावेशी और स्थानीय रूप से उत्तरदायी शिक्षा शासन के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं।

स्कूल प्रबंधन समितियों की संरचना

- **माता-पिता के लिए बहुमत प्रतिनिधित्व:** SMC के कम से कम 75% सदस्य छात्रों के माता-पिता या अभिभावक होने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवार बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सीधे भाग लें।
- **महिलाओं का प्रतिनिधित्व**: कम से कम 50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए और यह प्रावधान अधिक लैंगिक समावेशन और शैक्षिक निर्णय लेने में भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।
- **स्थानीय हितधारकों को शामिल करना**: शेष सदस्यों में शामिल हो सकते हैं:
    - शिक्षक
    - स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि
    - पूर्व छात्र
    - आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
    - आशा कार्यकर्ता
    - शिक्षा विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता
- **हाशिए पर रहने वाले समूहों का प्रतिनिधित्व:** दिशानिर्देश निम्नलिखित के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अनिवार्य करते हैं:
    - अनुसूचित जाति (एससी)
    - अनुसूचित जनजाति (एसटी)
    - अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (CWSN)

त्रिशंकु विधानसभा में राज्यपाल की भूमिका

संदर्भ

तमिलनाडु के चुनाव परिणामों में स्पष्ट बहुमत के अभाव ने त्रिशंकु विधानसभा के दौरान सरकार गठन में राज्यपाल की भूमिका को रेखांकित किया है।

त्रिशंकु विधानसभा के बारे में

- **त्रिशंकु विधानसभा तब होती है जब कोई भी राजनीतिक दल या चुनाव पूर्व गठबंधन राज्य विधानसभा में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं करता है।**
- ऐसी स्थितियों में, राज्यपाल उस मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने के लिए अपने संवैधानिक विवेक का प्रयोग करते हैं, जो उनके निर्णय में सदन का विश्वास प्राप्त करने की सबसे अधिक संभावना रखता हो।
- **संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 164(1):** भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। जबकि राज्यपाल आमतौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे होते हैं, त्रिशंकु विधानसभा में सरकार गठन के लिए यह विवेकाधीन शक्ति महत्वपूर्ण हो जाती है।

राज्यपाल की भूमिका और वरीयता का क्रम

सरकारिया आयोग (1983) और पुंछी आयोग (2007) द्वारा स्थापित मानदंडों के आधार पर, राज्यपाल को वरीयता के एक विशिष्ट क्रम का पालन करना चाहिए:

- **चुनाव पूर्व गठबंधन:** उन दलों के समूह को आमंत्रित करना जिन्होंने एक साथ चुनाव लड़ा था और जिनके पास सबसे अधिक संख्या में सीटें हैं।
- **सबसे बड़ा एकल दल:** उस सबसे बड़े एकल दल को आमंत्रित करना जो यह प्रदर्शित कर सके कि उसने बहुमत तक पहुंचने के लिए दूसरों का समर्थन प्राप्त कर लिया है।
- **चुनाव बाद गठबंधन:** चुनाव के बाद के ऐसे गठबंधन को आमंत्रित करना जहाँ सभी घटक दल सरकार में शामिल होने के लिए सहमत हों।
- **बाहरी समर्थन:** चुनाव के बाद के ऐसे गठबंधन को आमंत्रित करना जहाँ कुछ दल सरकार में शामिल होते हैं और अन्य (निर्दलीयों सहित) बाहर से समर्थन प्रदान करते हैं।

मुख्य प्रक्रियाएं

- **फ्लोर टेस्ट:** आयोग के मानदंड इस बात पर जोर देते हैं कि बहुमत के समर्थन के मुद्दे का परीक्षण सदन (विधानसभा) के पटल पर किया जाना चाहिए और राज्यपाल द्वारा निजी तौर पर इसका निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए।
- **समय सीमा:** नवनियुक्त मुख्यमंत्री को आम तौर पर पद ग्रहण करने के 30 दिनों के भीतर विश्वास मत प्राप्त करना होता है।

मुख्यमंत्री का पद कब समाप्त होता है?

संदर्भ

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में टीएमसी (TMC) की हार के एक दिन बाद, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी, और यह आरोप लगाया कि चुनाव परिणाम जनादेश के बजाय एक "साजिश" का परिणाम है।

क्या राज्यपाल किसी मुख्यमंत्री को हटा सकते है

- **संविधान के अनुच्छेद 164(1) में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और वह "राज्यपाल के प्रसादपर्यंत" पद धारण करते हैं।**
    - शाब्दिक रूप से पढ़ने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यपाल को एक मुख्यमंत्री को हटाने की शक्ति मिल गई है।
- **सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या**
    - समय के साथ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या की है कि वे काफी हद तक मंत्रिपरिषद की "सहायता और सलाह" से बंधे हैं।
- ए.जी. पेरारीवलन बनाम राज्य (पुलिस अधीक्षक के माध्यम से) मामले में, न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि राज्यपाल स्वतंत्र कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करने के बजाय आम तौर पर एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं।
- व्यवहार में, एक राज्यपाल मनमाने ढंग से एक ऐसे मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता है जो विधानसभा का विश्वास प्राप्त करता है।
- वैधता की असली परीक्षा सदन में बहुमत का समर्थन है।

शक्ति परीक्षण (फ़्लोर टेस्ट)

- **शक्ति परीक्षण (फ़्लोर टेस्ट) तब जरूरी हो जाता है जब इस बात पर संदेह होता है कि मुख्यमंत्री को अभी भी विधानसभा का विश्वास हासिल है या नहीं, खासकर तब जब राज्यपाल मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए कहता है और किसी अन्य नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने पर विचार करता है।**
- फ्लोर टेस्ट सदन में बहुमत के समर्थन को सत्यापित करने के लिए एक संवैधानिक तंत्र है। मुख्यमंत्री को आधे से अधिक मौजूदा विधायकों का समर्थन प्रदर्शित करना चाहिए।
- यदि मुख्यमंत्री शक्ति परीक्षण के दौरान बहुमत का समर्थन हासिल करने में विफल रहते हैं, तो इस्तीफा आवश्यक हो जाता है।
- यदि शक्ति परीक्षण के बाद कोई भी पार्टी या गठबंधन स्थिर बहुमत साबित नहीं कर सकता है, तो राज्य अंतिम उपाय के रूप में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के अधीन आ सकता है।

विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद क्या होता है

- **संवैधानिक प्रावधान:** संविधान के **अनुच्छेद 172** में कहा गया है कि एक राज्य विधानसभा आम तौर पर अपनी पहली बैठक की तारीख से पांच साल तक चलती है, जब तक कि पहले भंग न हो जाए।
    - पांच साल बाद विधानसभा स्वत: भंग हो जाती है।
- **नई सरकार का गठन:** विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, राज्यपाल एक नई विधानसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू करता है। नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेते हैं, जिसके बाद सदन में बहुमत के आधार पर नई सरकार का गठन होता है।

मुख्य परीक्षा

भारत की विकास गाथा में असमानता को समझना

संदर्भ

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2023-24 के हालिया निष्कर्षों से पता चलता है कि भारत में उपभोग असमानता का स्तर अभी भी उच्च बना हुआ है, जो इस दावे को चुनौती देता है कि असमानताओं में तेजी से गिरावट आई है।

असमानता में प्रमुख डेटा और रुझान

- **उच्च गिनी अनुमान:** हाल के HCES 2023-24 के अनुमान में भारत का खपत गिनी सूचकांक लगभग 0.29 है, जो विश्व बैंक के 0.25 के अनुमान से काफी अधिक है। इससे पता चलता है कि आर्थिक असमानताएं आधिकारिक तौर पर अनुमानित से अधिक गहरी हो सकती हैं।
- **व्यापक शहरी-ग्रामीण विभाजन**: शहरी गैर-खाद्य मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (MPCE) राष्ट्रीय औसत से लगभग 1.5 गुना अधिक है, जो शहरों में मजबूत क्रय शक्ति को उजागर करता है।
- **अमीर और गरीब के बीच तीव्र अंतर:** सबसे अमीर शहरी दशमलव का औसत MPCE सबसे गरीब ग्रामीण दशमलव की तुलना में लगभग नौ गुना अधिक है, जो गंभीर उपभोग असमानताओं का संकेत देता है।
- **उपभोग का संकेंद्रण:** शहरी भारत में, सबसे धनी 10% लोग अकेले कुल गैर-खाद्य व्यय का लगभग 27% हिस्सा खर्च करते हैं, जो जनसंख्या के एक छोटे से हिस्से में खर्च करने की क्षमता के संकेंद्रण को दर्शाता है।

गिनी इंडेक्स के बारे में

- गिनी इंडेक्स असमानता का एक उपाय है जहां एक उच्च मूल्य अधिक असमानता को दर्शाता है।
    - 0 पूर्ण समानता को इंगित करता है।
    - 1 पूर्ण असमानता को इंगित करता है।

भारत में बढ़ती असमानता के पीछे के कारण

- **शहरी-केंद्रित आर्थिक विकास:** आर्थिक विस्तार काफी हद तक शहरी क्षेत्रों में केंद्रित रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों ने समान लाभ का अनुभव नहीं किया है। नतीजतन, शहर समृद्धि के उच्च स्तर के साथ-साथ अधिक असमानता प्रदर्शित करते हैं।
    - शहरी परिवार ग्रामीण परिवारों की तुलना में गैर-खाद्य वस्तुओं पर काफी अधिक खर्च करते हैं, जो असमान विकास को दर्शाता है।
- **निरंतर कृषि संकट:** समग्र आर्थिक विकास के बावजूद, कृषि क्षेत्र को कम उत्पादकता, अस्थिर आय और बढ़ती कमजोरियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ग्रामीण-शहरी आय अंतर बढ़ रहा है।
    - ग्रामीण एमपीसीई राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे रहता है, खासकर जब शहरी केंद्रों की तुलना में।
- **वर्गों में असमान लाभ**: 1980 और 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के बाद से, पेशेवरों, प्रबंधकों और शहरी व्यापार मालिकों को विकास से असमान रूप से लाभ हुआ है।
    - उपभोग वृद्धि मुख्य रूप से उच्च आय वाले शहरी समूहों द्वारा संचालित की गई है, जबकि श्रम-गहन व्यवसाय पिछड़ गए हैं।

- **अनौपचारिक क्षेत्र में ठहराव**: अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में श्रमिकों और कृषि मजदूरों ने पिछले एक दशक में आय और जीवन स्तर में सीमित सुधार देखा है।
    - इन समूहों के बीच प्रति व्यक्ति व्यय पेशेवर और प्रबंधकीय वर्ग की तुलना में बहुत कम रहा है।
- **अति-अमीरों का कम आंकलन:** बड़े पैमाने पर किए गए सर्वेक्षण अक्सर सबसे धनी परिवारों के उपभोग और धन के पैटर्न को पर्याप्त रूप से समझने में विफल रहते हैं, जिससे वास्तविक असमानता का कम आंकलन होता है।
    - HCES और एनएसएस सर्वेक्षणों में शायद ही कभी भारत की अति-समृद्ध आबादी का सटीक प्रतिनिधित्व शामिल होता है।

बढ़ती असमानता के निहितार्थ

- **कमजोर नीति निर्माण**: असमानता के कम अनुमानों पर आधारित नीतियां कमजोर आबादी के लिए आवश्यक समर्थन के स्तर को कम करके आंक सकती हैं।
    - उदाहरण: यह मानते हुए कि कम गिनी इंडेक्स के परिणामस्वरूप ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों के लिए अपर्याप्त धन हो सकता है।
- **ऋण-संचालित उपभोग**: कई कम आय वाले परिवार आय वृद्धि के बजाय उधार लेने के माध्यम से खपत को बनाए रखते हैं, जिससे आर्थिक प्रगति नाजुक और अस्थिर हो जाती है।
    - उदाहरण: अनौपचारिक श्रमिक बुनियादी व्यय के स्तर को बनाए रखने के लिए ऋण पर तेजी से भरोसा करते हैं।
- **ग्रामीण मांग को कमजोर करना:** लगातार असमानताएं ग्रामीण आबादी की क्रय शक्ति को कम करती हैं, जिससे घरेलू बाजार का विस्तार सीमित हो जाता है।
    - उदाहरण: कम ग्रामीण खपत शहरी समृद्धि के बावजूद व्यापक आर्थिक विकास को प्रतिबंधित करती है।
- **सामाजिक गतिशीलता में गिरावट**: बढ़ती वर्ग-आधारित असमानता गरीब समूहों के लिए अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के अवसरों को कम करती है।
    - उदाहरण: शहरी पेशेवरों और कृषि मजदूरों के बीच की खाई दशकों से लगातार चौड़ी हुई है।
- **खराब कल्याण लक्ष्यीकरण**: त्रुटिपूर्ण डेटा संग्रह और पहचान विधियों से कल्याणकारी लाभ अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति वाले समूहों तक पहुंच सकते हैं, जबकि वास्तव में कमजोर लोगों को बाहर रखा जा सकता है।
    - उदाहरण: सबसे अमीर दशमलव के एक वर्ग को पीएमजीकेवाई जैसी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करना जारी है।

सरकारी पहल

- **विकसित भारत-ग्रामीण अधिनियम, 2025:** यह कानून मनरेगा को ग्रामीण रोजगार सृजन और आजीविका वृद्धि पर केंद्रित व्यापक ढांचे के साथ बदलने का प्रयास करता है।
- **प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई):** यह योजना सब्सिडी वाले समर्थन उपायों के माध्यम से आबादी के एक बड़े हिस्से को खाद्य सुरक्षा और कल्याण सहायता प्रदान करती है।
- **नए श्रम संहिता:** इन सुधारों का उद्देश्य श्रम नियमों को सरल बनाना और व्यापार करने में आसानी में सुधार करना है, हालांकि अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सुरक्षा के संबंध में चिंताएं बनी हुई हैं।
- **बीपीएल राशन कार्ड प्रणाली:** यह प्रणाली गरीबी रेखा से नीचे पहचाने गए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्रदान करना जारी रखती है।

आगे की राह

- **डेटा सटीकता में सुधार**: असमानता के विश्वसनीय और तुलनीय अनुमानों को सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण पद्धतियों को मजबूत किया जाना चाहिए।
- **संरचनात्मक असमानता पर ध्यान देना**: नीतिगत चर्चाओं को व्यक्तिगत आय अंतराल से आगे बढ़ना चाहिए और जाति, वर्ग और व्यवसाय से जुड़ी असमानताओं को दूर करना चाहिए।
- **गैर-खाद्य उपभोग अंतर को कम करना**: शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आवास और अन्य गैर-खाद्य व्यय में असमानताओं को कम करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
- **अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सुरक्षा को मजबूत करना**: श्रम संहिताओं और ग्रामीण रोजगार सुधारों के कार्यान्वयन को कमजोर श्रमिकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना चाहिए।
- **शीर्ष पर मौजूद धन को बेहतर ढंग से एकत्रित करना:** असमानता के वास्तविक पैमाने को प्रतिबिंबित करने के लिए उच्च आय और उच्च संपत्ति वाले परिवारों का सटीक प्रतिनिधित्व शामिल करने के लिए डेटा संग्रह प्रणालियों को फिर से डिजाइन किया जाना चाहिए।